Cal-177158/14

समाहरणालय, गया

(कार्यालय लोकपाल मनरेगा)

Common manrega

वित्तीय वर्ष 2013–14 में लोकपाल मनरेगा, गया के समक्ष दायर/प्राप्त परिवाद पत्रों के आलोक में जॉचोपरान्त वस्तु स्थिति की विवरणी:–

क्र. सं.	वाद सं0	प्राप्त शिकायतों का सार	जांचोपरान्त पाई गयी अनियमितता का सार	जांचोपरान्त प्राप्त शिकायतों की स्थिति	कार्रवाई के संबंध में अनुशंसा
1	1/A-13-14	बांकेबाजार प्रखंड के सैफगंज के आजमगढ़ शमशानघाट पर लगाए गए अधिकांश पौधे सूख गए हैं तथा पौधा रोपण में अनियमितता बरतने की शिकायक दर्ज की गयी है।	प्राप्त शिकायत के आलोक में अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्थल का मुआयना किया गया। करीब 90 प्रतिशत पौधे जीवित पाए गए।	प्राप्त शिकायत सही नहीं पाए गए।	अग्रेतर कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।
2	01/13-14	डोभी प्रखंड के ग्राम पंचायत नावांडीह में वर्ष 2011 की कई योजनाओं में स्थल पर बगैर काम कराए निवर्तवान मुखिया श्री सुरेन्द्र यादव एवं पंचायत रोजगार सेवक की मिलीभगत से 50 लाख रूपए गबन करने की शिकायत दर्ज की गयी।	प्राप्त शिकायत के आलोक में डोभी प्रखंड के कार्यक्रम पदाधिकारी से जांच करायी गयी। मुखिया एवं पंचायत रोजगार सेवक के विरुद्ध स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी। प्राथमिकी दर्ज होने के पश्चात् दोनों आरोपियों द्वारा मो0 528804/– रूपए सरकारी खजाने में जमा की गयी।	प्राप्त शिकायत सही पाए गए।	सरकारी राशि का गबन करने के आरोप में पंचायत रोजगार सेवक श्री संजीत कुमार की सेवा समाप्त करने की अनुशंसा की गयी है।
3	02/13-14	वजीरगंज प्रखंड के ग्राम पंचायत महुएत के पूर्व मुखिया श्री दिलीप सिंह एवं अन्य द्वारा शिकायत किया गया कि मनरेगा योजना के तहत पौधा रोपण एवं अन्य निर्माण कार्यों में व्यापक स्तर पर अनियमितताएं बरती गयी है।	प्राप्त शिकायत के आलोक में अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 15.7.13 को वजीरगंज प्रखंड के कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा/कनीय अभियंता मनरेगा एवं अन्य लोगों की मौजूदगी में स्थल जांच की गयी।	प्राप्त शिकायत सही पाए गए।	प्राप्त शिकायत के आलोक में कई योजनाओं में अनियमितताओं की शिकायत प्रमाणित होने के फलस्वरूप ग्राम पंचायत के मुखिया/पंचायत रोजगार सेवक/कनीय अभियंता, मनरेगा एवं तकनीकी सहायक के विरुद्ध विधिसम्मत् कार्रवाई की अनुशंसा की गयी।
4	04/13-14	श्री प्रदीप कुमार, ग्राम बरहेटा, ग्राम पंचायत कुजेसर द्वारा मनरेगा	प्राप्त शिकायत के आलोक में अधोहस्ताक्षरी द्वारा	प्राप्त शिकायत सही नहीं पाए गए।	अग्रेतर कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।

आयुक्त मनरेगा का कार्यालय, ग्रामीण विकास विभाग

Sec-8

LM_2014_242

		योजना के तहत मनरेगा कार्य में अनियमितता बरतने की शिकायत दर्ज की गयी।	कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, प्रखंड इमामगंज से जांच करवायी गयी। जांचोंपरान्त कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन में बताया गया कि सभी पौधे जीवित हैं।		
5	07/13-14	श्री सुमंत कुमार, भूतपूर्व जिला पार्षद, टिकारी द्वारा शिकायत की गयी कि ग्राम मखदुमपुर में तालाब की खुदाई निजी जमीन पर की गयी है तथा सरकारी पोखर पर खुदाई की गयी है।	प्राप्त शिकायत के आलोक में कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा टिकारी से जांच करवायी गयी। जांचोंपरान्त शिकायत सही नहीं पाया गया।	प्राप्त शिकायत सहीं नहीं पाए गए।	अग्रतर कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।
6	11/13-14	श्री जगेशर मांझी एवं अन्य 05 ग्रामीण, ग्राम पंचायत डिहुरी, प्रखंड अतरी द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष शिकायत दर्ज किया गया कि वनपोषक के रूप में कार्य करने के एवज में मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है।	प्राप्त शिकायत के आलोक में अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्वयं दिनांक 23.11.14 को स्थल जांच किया गया। पंचायत रोजगार सेवक द्वारा पोस्ट ऑफिस से हुए भुगतान से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।	प्राप्त शिकायत सही नहीं पाए गए।	अग्रतर कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।
7	13/13-14	श्री उपेन्द्र मिस्त्री, ग्राम गोपाल पिपरा, प्रखंड फतेहपुर द्वारा मजदूरी नहीं मिलने की शिकायत अधोहस्ताक्षरी के समक्ष किया गया।	प्राप्त शिकायत के आलोक में अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, फतेहपुर द्वारा जांच करवायी गयी। शिकायतकर्ता द्वारा एक लिखित आवेदन अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर बताया कि मजदूरी की राशि प्राप्त हो गयी है, अब उन्हें कोई शिकायत नहीं है।	प्राप्त शिकायत सही पाए गए, परन्तु शिकायतकर्ता की शिकायत का निवारण हो चुका है।	अग्रतर कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।
8	14/13-14	श्री जितेन्द्र यादव एवं अन्य, ग्राम पंचायत कोराप, प्रखंड कोंच द्वारा शिकायत दर्ज किया गया कि मनरेगा की कई योजनाओं में अनियमितता बरती गयी	प्राप्त शिकायत के आलोक में अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 21.11.2013 को कोंच प्रखंड के ग्राम पंचायत कोराप की कई योजनाओं का	प्राप्त शिकायत सही पाए गए।	ग्राम पंचायत कोराप के मुखिया, पंचायत रोजगार सेवक, पंचायत तकनीकी सहायक एवं कनीय अभियंता, मनरेगा के विरुद्ध मो0 –

LM_2014_243

(15)

		है।	स्थल जांच किया गया। अनियमितता की शिकायत सही पाई गई।		326328/- रूपए का दुर्विनियोग प्रमाणित होने के फलस्वरूप विधिसम्मत् कार्रवाई की अनुशंसा की गयी।
9	15/13-14	श्री युगल मांझी एवं अन्य सात ग्रामीणों, ग्राम पंचायत नौडीहा प्रखंड फतेहपुर द्वारा मजदूरी नहीं मिलने की शिकायत अधोहस्ताक्षरी के समक्ष की गयी।	प्राप्त शिकायत के आलोक में कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा, प्रखंड अतरी से जांच करायी गयी। जांच के बाद नौडिहा पंचायत के मुखिया द्वारा सम्बंधित मजदूरों की मजदूरी का भुगतान कर दिया गया।	शिकायत सहीं थे, परन्तु मजदूरों की शिकायत का निवारण हो गया है।	अग्रतर कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।
10	16/13-14	श्रीमती राजकुमारी एवं अन्य 09 ग्रामीणों, ग्राम पंचायत नौडिहा सुल्तानपुर, प्रखंड फतेहपुर द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष शिकायत दर्ज किया गया कि इन्हें वृक्षारोपण एवं अन्य कार्य करने के एवज में मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है।	प्राप्त शिकायत के आलोक में कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा द्वारा जांच कराई गयी। जांच के पश्चात संबंधित शिकायत कर्ताओं की मजदूरी का भुगतान हो जाने का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ।	शिकातय सही पाया गया, परन्तु मजदूरों की शिकायत का निवारण हो गया है।	अग्रतर कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।
11	20/13-14	श्री राजेश कुमार, पिता सत्येन्द्र दास, ग्राम मननपुर, सरवहदा, प्रखंड खिजरसराय द्वारा वनपोषक के रूप में कार्य करने के एवज में मजदूरी नहीं मिलने की शिकायत दर्ज की गयी।	प्राप्त शिकायत के आलोक में कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा खिजरसराय ने अपने जांच प्रतिवेदन में यह प्रतिवेदित किया है कि मो0 161200 रूपए का पूर्णरूपेण दुरूपयोग हुआ है।	शिकायत सहीं पाया गया।	योजना अभिकर्ता श्री जय प्रकाश, पंचायत रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत में मुखिया, कनीय अभियंता, मनरेगा एवं पंचायत तकनीकी सहायक के विरुद्ध विधिसम्मत् कार्रवाई की अनुशंसा की गयी।
12	44/13-14	श्री रजपृथ्वी पासवान एवं अन्य 07 ग्रामीणों, ग्राम खनेटा, प्रखंड बेलागंज द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष शिकायत दर्ज किया गया कि मनरेगा योजना के तहत वृक्षारोपण का कार्य करने के एवज में मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है और मुखिया प्रत्येक मजदूरों से मजदूरी की राशि में	प्राप्त शिकायत के आलोक में वरीय उप समाहर्ता, सदर गया से प्राप्त जांच प्रतिवेदन से आरोप की पुष्टि हुई है।	शिकायत सही पाया गया	मो0 615812/- रूपए मात्र की राशि का दुर्विनियोग का आरोप प्रमाणित हुआ है। ग्राम पंचायत के मुखिया/पंचायत रोजगार सेवक, कनीय अभियंता/पंचायत तकनीकी सहायक के विरुद्ध विधिसम्मत् कार्रवाई की अनुशंसा की गयी।

L M_2014_244

		से आधी राशि की मांग करते हैं।			
13	35/13-14	श्री उदय कुमार, बेलागंज द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष शिकायत दर्ज किया गया कि मनरेगा योजना के अंतर्गत श्रीपुर में वृक्षारोपण में धांधली एवं अनियमितता बरती गयी है।	प्राप्त शिकायत के आलोक में अधोहस्ताक्षरी के द्वारा स्वयं स्थल जांच किया गया। प्रत्येक बिन्दु पर सभी शिकायतों की जांच की गयी है। किसी भी योजना में अनियमितता नहीं पाई गई।	शिकायत सही नहीं पाए गए।	अग्रतर कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।

ह० —

(राय मदन किशोर)
लोकपाल, मनरेगा,
गया

ज्ञापांक.......204......./लो.मन.,गया दिनांक.......23/9/.2014

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मनरेगा आयुक्त, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना की सेवा मे सादर सूचनार्थ प्रेषित।

23/9/14

(राय मदन किशोर)
लोकपाल, मनरेगा,
गया

(14)

समाहरणालय, गया

(कार्यालय लोकपाल मनरेगा)

वित्तीय वर्ष 2014–15 में लोकपाल मनरेगा, गया के समक्ष दायर/प्राप्त परिवाद पत्रों के आलोक में जॉचोपरान्त वस्तु स्थिति की विवरणी:–

क्र. सं.	वाद सं0	प्राप्त शिकायतों का सार	जांचोपरान्त पाई गयी अनियमितता का सार	जांचोपरान्त प्राप्त शिकायतों की स्थिति	कार्रवाई के संबंध में अनुशंसा
1	01/14-15	श्री कृष्ण कुमार, ग्राम सोलरा, प्रखंड परैया द्वारा समर्पित परिवाद पत्र जिलाधिकारी, गया से प्राप्त है। मनरेगा अंतर्गत ग्राम सोलरा में वृक्षारोपण एवं पी.सी.सी. सड़क निर्माण में धांधली एवं अनियमितता बरतने की शिकायत है।	प्राप्त शिकायत के आलोक में अधोहस्ताक्षरी के द्वारा दिनांक 28.04.2014 को स्वयं स्थल जांच किया गया। प्रत्येक बिन्दु पर सभी शिकायतों की जांच की गयी। 15 योजनाओं में अनियमितता पाई गयी।	शिकायत सही पाए गए।	रू0 38,08,106/– (अड़तीस लाख आठ हजार एक सौ छः) रूपए मात्र की राशि का दुर्विनियोग का आरोप प्रमाणित हुआ। ग्राम पंचायत के मुखिया, पंचायत रोजगार सेवक, वर्तमान एवं तत्कालीन, कनीय अभियंता, पंचायत तकनीकी सहायक के विरुद्ध विधिसम्मत् कार्रवाई हेतु जिला पदाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक को अनुशंसा की गयी।
2	29/14-15	श्री राजनाथ चौहान, ग्राम पंचायत चबुरा, प्रखंड कोंच द्वारा मनरेगा के तहत वृक्षारोपण योजना में मजदूरों का जाली हस्ताक्षर बनाकर सरकारी राशि गबन करने की शिकायत।	प्राप्त शिकायत के आलोक में अधोहस्ताक्षरी के द्वारा दिनांक 15.09.2014 को स्थल जांच किया गया। प्रत्येक बिन्दु पर सभी शिकायतों की जांच की गयी। अनियमितता पाई गयी।	शिकायत सही पाए गए।	दुरूपयोग की गयी राशि का सही आकलन करने हेतु अभिलेखों एवं अन्य संगत कागजातों की जांच की जा रही है।
3	64/13-14 14-15	श्री रामचन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत मंझियावां, प्रखंड परैया द्वारा मनरेगा के तहत पी.सी.सी. पथ निर्माण एवं वृक्षा रोपण योजना में अनियमितता बरतने के संबंध में।	प्राप्त शिकायत के आलोक में दिनांक 26.05.2014 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्थल जांच किया गया।	शिकायत सही पाया गया।	दुरूपयोग की गयी राशि का सही आकलन करने हेतु अभिलेखों एवं अन्य संगत कागजातों की जांच की जा रही है।
4	54/13-14 14-15	श्री उमेश मांझी, ग्राम पंचायत सनौत, प्रखंड मानपुर द्वारा पी.सी.सी. पथ निर्माण में अनियमितता बरतने हेतु शिकायत है।	प्राप्त शिकायत के आलोक में दिनांक 15.03.2014 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्थल जांच किया गया।	शिकायत सही पाया गया।	दुरूपयोग की गयी राशि का सही आकलन करने हेतु अभिलेख की जांच की जा रही है।

		वृक्षारोपण योजना में अनियमितता बरतने की शिकायत है।	स्थल जांच किया गया।		संगत कागजातों की जॉच की जा रहीं है।
10	10/14-15	श्री अरविन्द कुमार, ग्राम–गाफाकला, पंचायत गाफाखुर्द, बोधगया, मनरेगा योजना के तहत् वृक्षारोपण योजना में अनियमितता बरते की शिकायत है।	प्राप्त शिकायत के आलोक में दिनांक 10.03.2014 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्थल जांच किया गया।	शिकायत सही पाए गए।	मो0–319504.00(तीन लाख उन्नीस हजार पॉच सौ चार मात्र) की राशि का दुरूपयोग का आरोप प्रमाणित हुआ। ग्राम पंचायत के मुखिया, पंचायत रोजगार सेवक, पंचायत तकनीकी सहायक, कनीय अभियंता के विरूद्ध विधिसम्मत् कार्रवाई हेतु जिला पदाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक, गया को अनुशंसा की गयी है।
11	34/14-15	श्री अवध सिंह, ग्राम पंचायत गुरियावॉं, प्रखंड– मोहनपुर द्वारा मनरेगा के तहत् वृक्षारोपण योजना एवं अन्य योजनाओं में अनियमितता बरते जाने की शिकायत की गयी है।	प्राप्त शिकायत के आलोक में दिनांक 10.03.2014 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्थल जांच किया गया।	शिकायत सही नहीं पाए गए।	शिकायत प्रमाणित नहीं हुआ। अतएव किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

(राय मदन किशोर)
लोकपाल, मनरेगा,
गया

ज्ञापांक.......965......./लो.मन.,गया दिनांक.......23/9/2014

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मनरेगा आयुक्त, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना की सेवा मे सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(राय मदन किशोर)
लोकपाल, मनरेगा,
गया

(13)

5	06/14-15	श्री संजय प्रसाद गुप्ता, ग्राम पंचानपुर, प्रखंड टिकारी द्वारा ग्राम पंचायत शिवनगर में मनरेगा योजनाओं में फर्जी तरीके से तालाब उड़ाही करने में सरकारी राशि निकालने संबंधी शिकायत है।	प्राप्त शिकायत के आलोक में दिनांक 19.09.2014 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्थल जांच किया गया।	शिकायत सही पाया गया।	मृत व्यक्ति/मजदूर के नाम पर राशि की निकासी प्रमाणित हुई है। विधिसम्मत् कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
6	32/14-15	श्री बाबू चन्द यादव, ग्राम पंचायत महमन्ना, प्रखंड टिकारी द्वारा मनरेगा योजना के तहत वृक्षारोपण योजना में मजदूरी की राशि का भुगतान मुखिया द्वारा नहीं करने की शिकायत है।	प्राप्त शिकायत के आलोक में दिनांक 19.09.2014 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्थल जांच किया गया।	शिकायत सही पाया गया।	मजदूरी की राशि दिलाने हेतु कार्यक्रम पदाधिकारी, टिकारी को आदेश दिया गया।
7	05/14-15	हिन्दुस्तान अखबार में प्रकाशित खबर दिनांक 09.06.14 में मजदूरों की रकम बिचौलियों द्वारा हड़पने की शिकायत	प्राप्त शिकायत के आलोक में कार्यक्रम पदाधिकारी, शेरघाटी द्वारा जांच कराई गयी।	शिकायत सही नहीं पाया गया।	शिकायत प्रमाणित नहीं हुआ, अतएव किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।
8	22/14-15	श्री प्रमोद सिंह एवं मृत्युंजय सिंह, ग्राम पंचायत गहलोर, प्रखंड मोहड़ा द्वारा मनरेगा योजना के तहत वृक्षारोपण योजनाओं में पंचायत रोजगार सेवक द्वारा अतियमितता बरतने की शिकायत है।	प्राप्त शिकायत के आलोक में कार्यक्रम पदाधिकारी, मोहरा द्वारा जांच कराई गयी। जांच प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया कि शिकायतकर्ता किसी अन्य के बहकावे में आकर शिकायत आवेदन दिए थे। शिकायतकर्ता ने लिखित आवेदन देकर अधोहस्ताक्षरी से अनुरोध किया है कि पूर्व में जो आवेदन उनके द्वारा दिया गा था उसे निरस्त किया जाए।	शिकायत सही नहीं पाए गए।	शिकायत प्रमाणित नहीं हुआ।
9	37/14-15	श्री सिपाही पासवान, ग्राम–कुरमावाँ प्रखंड–बोधगया मनरेगा योजना के तहत्	प्राप्त शिकायत के आलोक में दिनांक 27.03.2014 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा	शिकायत सही पाए गए।	दुरूपयोग की गई राशि का सहीं आकलंन करने हेतु अभिलेखों एवं अन्य